पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा

अनुवान हरी सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –281..../2025

निर्णय दिनांक ....30/6/25.......

हरी सिंह पुत्र देदा राम जाति मेघवाल निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 412 खसरा नं. 1187/943 तादादी 5.9811 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम सिंगाराम पुत्र देवाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम हरी सिंह पुत्र देदा राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम हरी सिंह पुत्र देदा राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 412 खसरा नं. 1187/943 तादादी 5.9811 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सिंगाराम पुत्र देवाराम Delete कर इसके स्थान पर हरी सिंह पुत्र देदा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......30/6/25...... को कैम्प कोर्ट रैयाटुण्डा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)